

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1023 /11-सी- FP/UP/ROAD/39999/2019, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 21, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/39999/2019)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1183/14-1, दिनांक 09.10.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-848/FP/UP/ROAD/39999/2019 दिनांक 25.10.2019 व आपका पत्रांक-1612/14 दिनांक 18.11.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में निराकरण हेतु प्रस्ताव आपको दिनांक 25.10.2019 द्वारा प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 18.11.2019 द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसका पुनः परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

हापुड़ वन प्रभाग

- 1- प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश आनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।
- 2- प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न की गयी है किन्तु हरियाली घनत्व व इको क्लास के अनुसार गणना नहीं की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है।
- 3- प्रस्तावित वनभूमि का 1.50000 माप की रंगीन टोपोशीट सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।
- 4- गजट नोटिफिकेशन चिह्नित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिह्नित कर सत्यापित संलग्न करें।

गाजियाबाद वन प्रभाग

- 1- प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश आनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।
- 2- प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न की गयी है किन्तु हरियाली घनत्व व इको क्लास के अनुसार गणना नहीं की गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है।
- 3- प्रस्तावित वनभूमि का 1.50000 माप की रंगीन टोपोशीट सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।
- 4- गजट नोटिफिकेशन चिह्नित कर संलग्न किया गया है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित मूल प्रति में नहीं है।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त वन संरक्षक 10/11/2019 द्वारा उपर्युक्त निर्देश दिए गये हैं कि प्रस्ताव को
को भेजने समय वृत्त देगढ़ पर परीक्षण किया जाय/कृपया जाय
DFO तथा W&A Agency के साथ बैठक करार कर आसानी से
करें।

सिक्कीय,

21/11

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1023/11-सी- FP/UP/ROAD/39999/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, जोन-5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

OLL

21/11

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।